

पुलिस आदेश सं 261 /1997.

विषय:- बिहार सैन्य पुलिस-16 में अनुपूर्य रैनिकों की नियुक्ति हेतु पुलिस आदेश संख्या 255/95 में संशोधन करने के सम्बन्ध में ।

पुलिस आदेश संख्या 255/95 में अतिरिक्त संशोधन करते हुए कंडिका 2।दो। की जगह पर निर्धारित प्रावधानित किया जाता है "अधिकतम आयु सीमा 37।सैतीस। वर्ष को बढ़ाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जाती है । अन्य अर्हताएँ यथावत रहेगी ।

ह0/-रस0 के0 सम्मेलन,

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

पटना ।

आपांक 4535/पी-2 महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।
16-1-17-96 पटना, दिनांक- 20 अगस्त, 1997 ।

प्रतिलिपि:-

- 1- महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 334/सै0पु0, दिनांक 21-2-97 के प्रसंग में सूचनाएँ ।
- 2- आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस।उत्तारी गंडत, मुजफ्फरपुर को सूचनाएँ
- 3- स्यादेण्डा, बिहार सैन्य पुलिस-16, कैम्प नौसा को सूचनाएँ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

पटना ।

श्रीराम/19-8

महानिरीक्षक

32